चौथी अनुसूची

(धारा 82 देखिए)

क्र.सं.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 324(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 [14/96 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा यथा अंतःस्थापित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57गग	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "**स्पष्टीकरण 2**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलत ढंग से लिए गए प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 57झ में उपबंधित है ।" ।	1 अगस्त, 1996 से 28 फरवरी, 1997 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)
2.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122, तारीख 1 मार्च 1997 [6/ 97)-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा यथा प्रतिस्थापित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57गग	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग में, उपनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "**स्पष्टीकरण**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलत ढंग से लिए गए प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 57झ में उपबंधित है ।" ।	1 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2000 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)
3.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 203(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 [11/ 2000-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2000] द्वारा यथा प्रतिस्थापित और अधिसूचना सं. 298(अ) तारीख 31 मार्च, 2000 [27/ 2000-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 31 मार्च, 2000] द्वारा नियम 57कघ द्वारा यथा प्रतिस्थापित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57घ	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ में, उपनियम (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 को इस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :— "**स्पष्टीकरण 2**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलत ढंग से लिए गए सेनवेट प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 57कज में उपबंधित है ।" ।	1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2001 (इसके अंतर्गत दोनों दिन सम्मिलित हैं)

website: http://indiabudget.nic.in